

मानवधिकार टीम ने मुक्त बंधुआ मजदूर को सम्पूर्ण सुविधाएँ दिलवाई

बंधुआ मजदूर के दिन फिर

कार्यालय, छतरपुर

बिजावर तहसील के रहने वाले दो बंधुआ मजदूर दिल्ली के सदर बाजार चौदनी चौक पर एक कंपनी में करीब 22 साल से बंधुआ मजदूर रहे थे, इसी वर्ष फरवरी में दिल्ली एसडीएम, जिला प्रशासन और मानवाधिकार एक्टिविस्टों की पहल पर मुक्त करवाया गया है।

इन मुक्त बंधुआ मजदूरों को दिल्ली एसडीएम द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया था। जो सरकारी सभी सुविधाओं को दिलवाने के लिए मददगार होता है। गत रात्रि से मुक्त बंधुआ मजदूर को बार-बार उल्टी एवं दस्त हो रहे हैं। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। ड्यूटी पर तेनात डॉक्टर ने इस गरीब निर्धन मुक्त बंधुआ मजदूर को भर्ती करते हुए सभी दवाइयों बाहर से लेने के लिए लिख दी थीं। ड्यूटी के समय उपलब्ध नर्स व स्टाफ से ग्लूकोस पर्याप्त मात्रा में लंगा देने के लिए कहा था। लेकिन ड्यूटी पर उपस्थित नर्स के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। रात में रात भर उल्टी दस्त होते रहे और पूरा प्रशासन घुराटे मारते हुए सोता रहा।

जब मुक्त बंधुआ मजदूर के परिजनों ने ड्यूटी में उपस्थित नर्स से ग्लूकोस की बोतल लगाने के लिए कहा तो नर्स का कहना था कि अस्पताल में ग्लूकोस नहीं है। अगर लगाना है तो बाहर मेडीकल से लेकर आओ नहीं तो शांत बैठकर बृद्ध के उल्टी दस्त देखते रहो।

जब सुबह मानवाधिकार एक्टिविस्ट(दिल्ली), पत्रकार महोदय की पहल पर प्रशासन जागा और कुछ इलाज संभव हो सका। दिल्ली से आई मानवाधिकार टीम एवं मीडिया के हस्ताक्षेप करने के बाद पता चला कि यहाँ सफाई को ठेका किसी प्राइवेट कंपनी को 2 लाख रुपये प्रतिमाह से दिया गया जिसका 1 साल का



कुल 24 लाख रुपये सफाई के लिए शासन से आता है। लेकिन सफाई को कोई व्यवस्था नहीं चारों तरफकूड़ा कचरा का अंबार लगा था। जितनी भी अस्पताल में टोलेट हैं सभी में अंधेरा था और भयंकर अजीब प्रकार की दुर्गंध आ रही थी। जहाँ पर स्वास्थ्य व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। अस्पताल में इस भीषण गर्मी मरीज बिना कूलर पंखा के बसेरा कर रहे थे। और जो कुछ पंखे लगे भी दिखाई दे रहे थे। वे पूर्ण रूप से हवा देने में अस्वास्थ्य दिख रहे थे। सुबह 10:30 बजे अस्पताल में उपस्थित सभी डॉक्टरों के चेम्बर बंद पाये गये। पूरा अस्पताल बॉड वॉय के भरोसे चल रहा था।

मानवाधिकार टीम ने जब कलेक्टर को मुक्त बंधुआ मजदूर के बारे में अवगत कराया तो कलेक्टर ने तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि इस मुक्त बंधुआ मजदूर को 10000 रुपये की सहायता राशि रेडक्रास सोसायटी से उपलब्ध करवाई, इंचार्ज वाहन षाखा से अस्पताल से ग्वालियर ले जाने के लिए रोगी कल्याण समिति से पी.ओ.एल. निपुल्क उपलब्ध, इनके तीनों बच्चों के एंजिल पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए जिला शिक्षाधिकारी को दूरभाष कर निर्देश दिये, ग्वालियर में सभी प्रकार का मेडीसिन निःशुल्क उपलब्ध और रोजगार के लिए भी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। इन समस्त प्रकार की सुविधाओं का एक गरीब मुक्त बंधुआ मजदूर को मिल पाना पत्रकार महोदय एवं मानवाधिकार की टीम के द्वारा ही संभव हो सका है।